वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 158/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-01.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 01.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना अहरौला: अपने ही पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त (पुत्र) गिरफ्तार, घटना प्रयुक्त डण्डा बरामद।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 30.04.2025 को आवेदक/वादी संजय राजभर पुत्र रामलवट ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता लिखित तहरीर दिये कि मेरी माँ माया देवी की आठ दिन पूर्व विमारी से मृत्यु हो गई थी। जिसमे आज दूध-भात (सुद् धक)का खान पान था। मेरे पिता जी दरवाजे पर बैठे थे कि दिनाक- 30/04/25 को समय 8:30 बजे दाग बदलने तेरहवी की खर्च आदि को लेकर वाद विवाद को लेकर मेरे बडे भाई विजय राजभर पिता रामलवट राजभर को डण्डे से अचानक मारने लगे हम और रामलगन राजभर बीच बचाव के लिए दौडे कि पिता जी को काफी चोटें आ चुकी थी। कही डाक्टर के पास ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 170/2025 धारा 105 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनाँक 01.05.2025 को थानाध्यक्ष अनिल कमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय राजभर पुत्र रामलवट राजभर उपरोक्त को केदारपुर पुलिया के पास से समय करीब 11.15 बजे पकड लिया गया। अभियुक्त के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा को मेहदवारा पुलिया के आगे झाडी से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 170/2025 धारा 105 बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विजय राजभर पुत्र स्व0 रामलवट राजभर निवासी ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 36 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 लालजी यादव, का0 उमेश गौड़ व म0का0 अनामिका कुशवाहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

02.थाना पवईः गोवध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 27.04.25 को वादी थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा थाना पवई आजमगढ़ के तहरीर पर ग्राम चकधुधरी पुलिया के नीचे एक अदद बोरी में प्रतिबंधित पशु का अवशेष व एक अदद प्रतिबंधित पशु की मुंडी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेके जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 127/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया है। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र सोहराब उर्फ मुनाऊ निवासी सरईया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. आमिर पुत्र इस्तियाक निवासी कसाई टोला सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 01.05.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मो0 लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र सोहराब उर्फ मुनाऊ निवासी सरईया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष, 2.आमिर पुत्र इस्तियाक निवासी कसाई टोला सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को एक लकड़ी का ठीहा व चाकू के साथ बागबहार नहर पुलिया के पास से समय करीब 00.37 बजे वजाफ्ता वाकायदा हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः

1- मु0अ0स0 127/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना पवई आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

अभि0 लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र सोहराब उर्फ मुनाऊ निवासी सरईया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हालपता ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 14/23 धारा 3/5/8 गोवध निवा0अधिनियम व 147/148/149/307 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 16/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 164/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना पवई आजमगढ़

अभि0 आमिर पुत्र इस्तियाक निवासी ग्राम कसाई टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
1.मु0अ0सं0 94/20 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 172/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 179/19 धारा 5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़
4.मु0अ0सं0 180/16 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह थाना पवई, आजमगढ़।
2. उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह थाना पवई, आजमगढ़।

03.थाना- पवईः शादी का झांसा देकर अपहरण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 29.04.25 को वादिनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर आवेदिका की पुत्री को विपक्षी सूरज पुत्र महेन्द्र द्वारा दिनांक 28.04.2025 समय करीब 05 बजे शाम को वादिनी की पुत्री को लेकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 129/25 धारा 87 बीएनएस बनाम सूरज पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम शहराजा थाना पवई आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। दिनांक 30.04.25 को पीड़िता की बरामदगी की गयी। दौराने विवेचना पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने की स्थिति में धारा 137(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 01.05.25 को उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम शहराजा थाना पवई आजमगढ़ को सुम्हाडीह बाजार से समय 10.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

04.थाना पवईः मोबाइल चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 29.04.24 को आवेदक/वादी श्री फैयाज अहमद पुत्र श्री मु0 हुसैन ग्राम शाहमर्दानपुर पो0 पवई आजमगढ़ थाना उपस्थित आकर एक किता तहरीर दिया कि दिनांक 28/29.04.25 को प्रार्थी की मोबाइल को रात्रि में शनि राजभर पुत्र मिट्ठू राजभर निवासी बिलवाई थाना अखण्डनगर सुल्तानपुर द्वारा चुरा कर ले जाने के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 128/24 धारा-303(2) बीएनएस बनाम शनि राजभर पुत्र मिट्ठू राजभर निवासी बिलवाई थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना फर्द बरामदगी चोरी गये मोबाइल के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त शनि राजभर पुत्र मिट्ठू राजभर निवासी बिलवाई थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर की गिरफ्तारी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 30.04.25 को उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शनि राजभर पुत्र मिट्ठू राजभर निवासी बिलवाई थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर को ग्राम बागबहार जाने वाले रोड पर बस्ती चकगुलरा मोड के पास से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये मोबाइल रियलमी नाजरो 50 आई कम्पनी को बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त का चालान चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

05.थाना- कप्तानगंजः पशु चोरी करने वाला अभियुक्त घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 10.04.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रेमशीला देवी पत्नी शिवमूरत निषाद निवासिनी ग्राम- छिड़ी गोपाल थाना- कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 07.04.2025 को रात्री में किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादिनी की थलकल भैस दरवाजे के सामने से खोल कर चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 86/2025 धारा- 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व0उ0नि0 श्री विजय सिंह गौड़ द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। तथा गिरफ्तार अभियुक्त जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 30.04.25 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को पशु चोरी करने वाले पिकअप वाहन के साथ समय लगभग 22.30 वजे गोपालपुर अहिरौला रोड़ से हिरासत पुलिस में तथा अभियुक्त ने चोरी के पशु को 45 हजार रूपयें में बेच दिया गया 3140 रुपया को कब्जा पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. जंगली पुत्र रिखई उर्फ रिघई निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.स. 255/17 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना कोपागंज मऊ
2. मु.अ.स. 49/23 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना कोपागंज मऊ
3. मु.अ.स. 86/25 धारा- 303(2),317(2) बी0एन0एस0थाना कप्तानगंज आजमगढ़

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद सफेद पीकप (UP 54D 2162)
2. नायलान की रस्सी (लम्बाई साढे दस हाथ)
3. एक सिरिन्ज पारदर्शी दस एम एल लोहे की निडिल लगी हुई
4. 3140 रूपये नकद

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0- 86/2025 धारा- 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह थाना कप्तानगंज

06.थाना- कप्तानगंजः अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.04.2024 को उ0नि0 अमन तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान जेहरा पिपरी आस्था मैरेज लान मे एक अभियुक्त सुभांशु यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी दौलताबाद बलई सागर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 00.30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.सुभांशु यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी दौलताबाद बलई सागर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 1. एक अदद तमंचा .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 111/2025 धारा 09/25 Arms Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 अमन तिवारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 सौरभ सिंह, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 अखिलेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
4. का.इरफान अली, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़